



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर नाजायज गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-166/2017 धारा-18/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पे0 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सोनू सिंह पुत्र कमल सिंह नि0 भेड़ीडांडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 01 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण  
कुमार सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 विनोद  
कुमार



पैरोकार- थाना  
जलालपुर  
हे0का0 मनोज मिश्रा